

प्रेस नोट 08.05.19

1.दिनांक 07.05.19 को वादी श्री वरुण कुमार पुत्र स्व० शिवलाल कन्नौजिया निवासी फतेहपुर सरैया थाना कैण्ट, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोटर साइकिल नं० यूपी 42 एजे 9133 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता की साइकिल में टक्कर मार देना जिनकी चोटे आने के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 175/19 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 07.05.19 को वादी श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय निवासी महिमापुर उर्फ दलपतपुर जनपद अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 32 सीए 1105 बैगन आर कार का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे वादी को चोटे आना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 271/19 धारा 279, 337 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 07.05.19 को वादी उ०नि० श्री संतोष कुमार मौर्या थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रंजीत पुत्र राम कृपाल निवासी फिरोजपुर उपरहार थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 200 एमएल की 103 शीशी देशी शराब बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 200/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 07.05.19 को वादी श्री राजेन्द्र गुप्ता पुत्र छोटेलाल गुप्ता निवासी 1372 अवधपुरी कालोनी बेनीगंज थाना को०नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 62 आर 8289 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र को पीछे से टक्कर मार कर गम्भीर रूप से घायल कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 279/19 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 07.05.19 को वादी श्री लखराज पुत्र शिवनाथ निवासी जैथरी थाना को०रुदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोनू पुत्र तीरथ निवासी जैथरी थाना को०रुदौली, अयोध्या आदि 04 नफर खेत के खम्भे से कटीला तार निकालने की बात को लेकर अभि०गण द्वारा मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 153/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।